न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—26/2016 (2016/00025) वाद पत्र

1. माधु आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. धन्ना आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सोहन आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नैना आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु आत्मज लालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर मृतक के बजाय

4/1. घीसु पिता बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2. मदन पिता बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/3. रामी पुत्री बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/4 सोसर बेवा बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. दाखी पुत्री नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादी
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 19.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा दिनांक 03.06.2002 को तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के न्यायालय में वाद पेश किया गया जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजियात संख्या 489 रकबा 16 बिस्वा, 981/1, 982/2, 983 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 981/3, 982/1 रकबा 5 बिस्वा, 984/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 988 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 989/1 रकबा 1 बीघा, 1014 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 1336 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि में से वादी ने आराजी संख्या 984/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा मे से निहित वादी के 1/5 हिस्से मे से 1/45 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। आराजी संख्या 981/3, 982/1 रकबा 5 बिस्वा मे से 2 बिस्वा भूमि को वादी व प्रतिवादीगण ने आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवा दी हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 984/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि मे से 15 [illegible] भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने आवासीय प्रयोजनार्थ [illegible] है। इस प्रकार आराजी संख्या 981/3, 982/1 मे से 3 बिस्वा भूमि ही एवं आराजी [illegible] 984/2 मे से 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही कृषि प्रयोजनार्थ काम ली जा रही है। आराजी संख्या 984/2 में [illegible] वादी के 1/5 हिस्से मे से 1/45 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज रखाते हुए एवं आराजी संख्या 981/3, 982/1 मे से 2 बिस्वा भूमि एवं आराजी संख्या 984/2 मे से 15 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:25 IST
Reason: SelfAttested

आवासीय प्रयोजनार्थ में दर्ज रखाते हुए शेष बची आराजियात का बाई मीट्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादी के 1/5 हिस्से का स्वतंत्र खाता खोले जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य खाता शामलाती दर्ज रहने से वादी को काश्त करने, काश्त लाभ लेने भूमि को उपजाउ बनाने, लगान जमा कराने ऋण आदि सुविधा प्राप्त करने, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में भारी कठिनाई रहती है जिससे वादी अपना 1/5 हिस्से का स्वतंत्र खाता खुलवाना चाहता है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इश आशय की अज्ञाप्ति सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अकिंत आराजियात मे से आराजी संख्या 984/2 में निहित वादी के 1/5 हिस्से मे से 1/45 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज रखाते हुए एवं आराजी संख्या 981/3, 982/1 मे से 2 बिस्वा भूमि एवं आराजी संख्या 984/2 मे से 15 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ में दर्ज रखाते हुए शेष बची आराजियात का बाई मीट्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादी के 1/5 हिस्से का स्वतंत्र खाता खोले जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करते हुए तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के द्वारा प्रकरण में 4 तनकियात कायम करते हुए दिनांक 31.07.2004 को वादी का वाद बहक वादी डिक्री किया जाकर ग्राम थला की वर्तमान आराजी संख्या 288 रकबा 0.05 है0, मे से 0. 02 है0 तथा आराजी संख्या 278 व 279 रकबा 0.49 है0 मे से 0.15 बिस्वा कम करते हुए, आराजी संख्या 395, 279, 270, 262, 251/1612, 1435, 395 कुल किता 9 कुल रकबा 2.12 है0 मे से वादी के 1/5 हिस्से का विभाजन किये जाने का आदेश देते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं दिनांक 30.10.2004 को विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना जाकर वाद में अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसकी पालना में भूमि पक्षकारो के नाम विभाजन से अलग—अलग खाते में दर्ज हो गई।

उक्त न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.07.2004 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 30.10.2004 के विरूद्व श्रीमती दाखी पुत्री नाथु जोजे खेमा कुमावत निवासी धूलखेड़ा हाल थला के द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर अपील संख्या आरटीए/275/2007 दर्ज होकर माननीय अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2012 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.07.2004 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 30.10.2004 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निदेर्शित किया कि प्रकरण में [illegible] अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उक्त अपील न्यायालय [illegible] मे प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 13.04.2016 को दर्ज रजिस्[illegible] को नोटिस जारी किये गये है। नोटिस की पालना में माधु की [illegible] फतहलाल अधिवक्ता तथा धन्ना व नैना की ओर से जाकिर हुसैन अधिवक्ता एवं प्रतिवादीया दाखी की ओर से अधिवक्ता हरिश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:25 IST
Reason: SelfAttested

टेलर द्वारा अधिकार पत्र पेश किया और वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का प्रतिवाद पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर जवाब व काउन्टर क्लेम में अकिंत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की वादग्रस्त भूमि जिसके उक्त कलम में अकिंत साबिक आराजियात के नवीन नम्बर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कायम किये गये जो आराजी संख्या 395 रकबा 0.17 है0, 279 रकबा 0.24 है0, 288 रकबा 0.05 है0, 278 रकबा 0.33 है0, 279 रकबा 0.16 है0, 270 रकबा 0.26 है0, 262 रकबा 0.21 है0, 251/1612 रकबा 0.35 है0, 1435 रकबा 0.35 है0 है जो उनकी संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे नही होकर उसमे प्रतिवादी संख्या 6 का भी 1/6 हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जो भूमि आवासीय रूपान्तरित करवायी गई वह भूमि प्रतिवादी संख्या 6 की भी संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी की थी किन्तु वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 ने प्रतिवादी संख्या 6 का नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज नही होने का नाजायज फायदा उठाकर भूमि रूपान्तरित करवा ली जिसमें प्रतिवादीया का 1/6 हिस्सा है। आराजी संख्या 278, 279 में वादी का 1/5 हिस्सा नही होकर 1/6 हिस्सा है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/45 किस आधार पर रखा जावे उसका कोई अंकन नही है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भूमियां सामलाती रहने से कोई अड़चन नही है फिर भी वादी उसके 1/6 हिस्से को अलग कराना चाहता है तो प्रतिवादीया को कोई अड़चन नही है। प्रतिवादीयां दाखी, वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 सगे भाई बहिन है उनके पिता मृतक नाथुजी की जायन्दा पुत्री होकर विधिक वारीस है। वादवर्णित भूमि में प्रतिवादीया का 1/6 हिस्सा निहित है तथा उसी अनुसार काबिज है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में 1/6 हिस्से को जरिये घोषणात्मक डिक्री के दर्ज करवाने की अधिकारी है। मूल खातेदार नाथुजी के 5 पुत्र धन्ना, माधु, सोहन, नैना, नन्दा एवं 1 पुत्री प्रतिवादीया है जिनमें सभी भाई बहिनो में बराबर हक हिस्सा होकर 1/6–1/6 हिस्सा बनता है। वादवर्णित आराजियात में नन्दा भी अपना हिस्सा सोहन, नैना, धन्ना को बेचा व 1 बिस्वा भूमि बालु कुमावत को बेची गई। नाथु की विरासत में प्रतिवादीया का नाम दर्ज नही कर भूमि उनके पुत्रो के द्वारा अपने नाम करा ली गई और बाद में सोहन, धन्ना, माधु, नैना के द्वारा आपस में विभाजन कराकर भूमि अपने–अपने नाम दर्ज करा दी। इस प्रकार वादवर्णित भूमियां में प्रतिवादी संख्या 6 जिसका 1/6 हिस्सा को घोषणात्मक डिक्री जारी करवाने की अधिकारीणी हुँ। प्रतिवादीया 6 अपने 1/6 हिस्से को वादी व प्रतिवादीगण के साथ जरिये बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करा खाता अलग कायम कराने का भी अधिकारीणी है। अतः वादी का वादपत्र खारीज फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादवर्णित भूमियो में प्रतिवादीया संख्या 6 को 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए घोषणात्मक डिकी बइक प्रतिवादी संख्या 6 विरूद्व वादी व प्रतिवादीगण के फरमाई जावे एवं विभाजन के आदेश प्रदान [illegible] ाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक प्रतिवादी संख्या 6 विरूद्व वादी व अन्य प्रतिवादीग[illegible] शय की फरमाई जावे कि वादी व प्रतिवादीगण किसी अन्य को रहन [illegible] से हस्तान्तरित नही करे एवं प्रतिवादीया के कब्जे काश्त में नाजा[illegible] न अन्य से करावे।

प्रतिवादीया द्वारा काउन्टर क्लेम पेश [illegible] पर उक्त प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:25 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वादग्रस्त भूमि आबादी होकर उस पर मकानात बने हुए है जिसे वादीया का काउन्टर क्लेम खारीज होने योग्य है।
जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त भूमियो के कई नम्बर व खाते बना दिये गये है जिससे प्रतिवादीया संख्या 6 का काउन्टर क्लेम त्रुटीपुर्ण जिससे प्रतिवादी संख्या 6 का काउनटर क्लेम खारीज होने योग्य है।
जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा प्रतिवादी सोहनलाल के साथ दुरभी संन्धी कर काउन्टर क्लेम पेश किया गया है जिससे खारीज होने योग्य है।
जिम्मे वादी

4. आया वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना हिस्सा 50 वर्ष पूर्व मौखिक सहमति से वादी व अन्य प्रतिवादीगणो के पक्ष में तर्क कर दिया गया है जिसमें वादीया विवधंन के सिद्वान्त से बाधित है जिससे काउन्टर क्लेम खारीज योग्य है।
जिम्मे वादी

5. आया वादगस्त भूमियो का विभाजन होने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आबादी परिवर्तित करवा कई व्यक्तियों को भूमि विक्रय कर दी गई है जिससे क्रेता पक्षकार आवश्यक होने से काउन्टर क्लेम खारीज होने योग्य है।
जिम्मे वादी

6. आया वादवर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6 पिता मूल पुरूष नाथुलालजी के समय की होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6 की पैतृक भूमि है तथा पूर्व में विभाजन अपीलेन्ट कोर्ट से निरस्त हो चुका है।
जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

7. आया वादवर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 की पुतैश्नी भूमि होने से अपना 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं विभाजन कराने की अधिकारी है।
जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

उक्त तनकियात कायम होने के बाद वादी की ओर से साक्ष्य नही कराने से साक्ष्य बन्द की गई एवं प्रतिवादीया की साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत की गई जिस पर दिनांक 07.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 6 न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुई किन्तु साक्ष्य नही हुई। प्रतिवादीया द्वारा अपनी साक्ष्य के रूप में दिनांक 14.12.2021 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और उसकी प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई गई और जिरह हेतु आगामी तारीख निर्धारित की गई। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 6 का स्वास्थ्य खराब होने से व चलने फिरने में असमर्थ और न्यायालय में उपस्थित होने में असक्षम होने से जिरह हेतु कमिश्नर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया जिस पर वादी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नही होने से स्वीकार किया गया।

दिनांक 15.02.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वादवर्णित भूमि में कुछ रकबा विक्रय किया जा चुका है उसको मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में आपसी समझाईश कर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है जिससे माननीय न्यायालय से निवेदन है कि पक्षकारो एवं अधिवक्ताओ की उपस्थिति में मौके पर पक्षकारान से चर्चा कर पक्षकारान की सहमति अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे जिसमें किसी पक्ष को कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति होने से इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2022 को प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 को मृतक नाथुजी की विधिक वारीस मानते हुए नाथुजी के नाम दर्ज साबिक आराजियात जिनके नवीन नम्बर कायम किये गये है उनमें प्रतिवादी संख्या 6 को 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला की आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:25 IST
Reason: SelfAttested

1822 / 262 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1826 / 1435 रकबा 0.09 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 भूमि जो माधु पिता नाथु के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 6 को 4 / 32 हिस्से की भूमि का, आराजी संख्या 395 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1691 / 288 रकबा 0.03 है0, 1819 / 270 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1825 / 262 रकबा 0.01, आराजी संख्या 1829 / 1435 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1837 / 278 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1839 / 278 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1840 / 278 रकबा 0.07 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.59 है0 भूमि जो सोहन पिता नाथु कुमावत के नाम दर्ज है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 6 को 8 / 59 हिस्से की भूमि का, इसी तरह आराजी संख्या 1821 / 270 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1824 / 262 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1831 / 251 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1834 / 269 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1869 / 304 रकबा 0.05 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि जो नैना पिता नाथु कुमावत के नाम दर्ज है मे से प्रतिवादी संख्या 6 को 4 / 29 हिस्से की भूमि का, इसी तरह आराजी संख्या 282 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1820 / 270 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1823 / 262 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1827 / 1435 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1830 / 251 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 1833 / 269 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1872 / 289 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.63 है0 जो धन्ना पिता नाथु कुमावत के नाम दर्ज है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 6 को 8 / 63 हिस्से की भूमि का , इसी तरह आराजी संख्या 1841 / 278 रकबा 0.07 है0 भूमि जो नाथु पिता धन्ना 1 / 10, सोहन, नैना पिता नाथु 1 / 10, सोहन नैना धन्ना पिता नाथु 3 / 5, माधु पिता नाथु 8 / 45, घीसु मदन पिता बालु रामी पुत्री बालु सोसी बेवा बालु 1 / 45, कुमावत के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 6 को 44 / 45 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष 1 / 45 हिस्सा बदस्तुर बालु के विधिक वारीसान का यथावत रहेगा मौके पर आराजी संख्या 1841 / 278 रकबा 0.07 है0 भूमि में घीसु मदन पिता बालु रामी पुत्री बालु सोसी बेवा बालु कुमावत सा.देह का मौके पर कब्जा नही हो तो इसके बजाय जहां कब्जा हो वो रकबा वादीया के हिस्से में मानते हुए घीसु मदन पिता बालु रामी पुत्री बालु सोसी बेवा बालु कुमावत के नाम का प्रस्ताव एवं उक्त आराजी संख्या 1841 / 278 रकबा 0.07 है0 भूमि का सम्पूर्ण प्रस्ताव वादिया के नाम मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाये। इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो[illegible]

आदेश

अतः प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थली तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 505 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1826 / 1435 रकबा 0.09 है0 भूमि माधु पिता नाथु 575 / 900 दाखी पुत्री नाथु 325 / 900 कुमावत सा.देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1822 / 262

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:25 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.17 है0 भूमि बदस्तुर जमाबन्दी एवं खाता संख्या 689 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1829/1435 रकबा 0.09 है0 भूमि सोहन पुत्र नाथु 1/9 दाखी पुत्री नाथु 8/9 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1691/288 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1819/270 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1825/262 रकबा 0.01 है0, 1837/278 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1839/278 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1840/278 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 395 रकबा 0.17 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि बदस्तुर जमाबन्दी तथा खाता संख्या 264 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1831/251 रकबा 0.17 है0 भूमि नेना पुत्र नाथु 1261/1700 दाखी पुत्री नाथु 439/1700 कुमावत सा.देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1821/270 रकबा 0.06 है0 भूमि नेना पुत्र नाथु 584/600 कुमावत, घीसु पुत्र बालु 1/150 मदन पुत्र बालु 1/150 रामी पुत्री बालु 1/150 सोसी पत्नि बालु 1/150 कुमावत सा.देह खातेदार व आराजी संख्या 1824/262, आराजी संख्या 1834/269, आराजी संख्या 1869/304 बदस्तुर जमाबन्दी एवं खाता संख्या 208 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1833/269 रकबा 0.05 है0 भूमि धन्ना पुत्र नाथु 335/500 दाखी पुत्री नाथु 165/500 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1827/1435 रकबा 0.08 है0 भूमि धन्ना पुत्र नाथु 165/800 दाखी पुत्री नाथु 635/800 कुमावत सा.देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1820/270, आराजी संख्या 1823/262, आराजी संख्या 1830/251, आराजी संख्या 282 बदस्तुर जमाबन्दी एवं खाता संख्या 734 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1872/289 रकबा 0.16 है0 बदस्तुर जमाबन्दी तथा खाता संख्या 209 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1841/278 रकबा 0.07 है0 भूमि दाखी पुत्री नाथु कुमावत के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। साथ ही बहक प्रतिवादी संख्या 6 विरूद्ध वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 6 कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे एवं शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

19.05.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:25 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–26 / 2016 (2016 / 00025) वाद पत्र

1. माधु आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. धन्ना आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सोहन आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नैना आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु आत्मज लालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर मृतक के बजाय

4/1. घीसु पिता बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2. मदन पिता बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/3. रामी पुत्री बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/4 सोसर बेवा बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. दाखी पुत्री नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 505 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1826 / 1435 रकबा 0.09 है0 भूमि माधु पिता नाथु 575 / 900 दाखी पुत्री नाथु 325 / 900 कुमावत सा.देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1822 / 262 रकबा 0.17 है0 भूमि बदस्तुर जमाबन्दी एवं खाता संख्या 689 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1829 / 1435 रकबा 0.09 है0 भूमि सोहन पुत्र नाथु 1 / 9 दाखी पुत्री नाथु 8 / 9 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1691 / 288 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1819 / 270 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1825 / 262 रकबा 0.01 है0, 1837 / 278 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1839 / 278 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1840 / 278 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 395 रकबा 0.17 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि बदस्तुर जमाबन्दी तथा खाता संख्या 264 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1831 / 251 रकबा 0.17 है0 भूमि नेना पुत्र नाथु 1261 / 1700 दाखी पुत्री नाथु 439 / 1700 कुमावत सा.देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1821 / 270 रकबा 0.06 है0 भूमि नेना पुत्र नाथु 584 / 600 कुमावत, घीसु पुत्र बालु 1 / 150 मदन पुत्र बालु 1 / 150 रामी पुत्री बालु 1 / 150 सोसी पत्नि बालु 1 / 150 कुमावत सा.देह खातेदार व आराजी संख्या 1824 / 262, आराजी संख्या 1834 / 269, आराजी संख्या 1869 / 304 बदस्तुर जमाबन्दी एवं खाता संख्या 208 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1833 / 269 रकबा 0.05 है0 भूमि धन्ना पुत्र नाथु 335 / 500 दाखी पुत्री नाथु 165 / 500 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1827 / 1435 रकबा 0.08 है0 भूमि धन्ना पुत्र नाथु 165 / 800 दाखी पुत्री नाथु 635 / 800 कुमावत सा.देह खातेदार के नाम व आराजी संख्या 1820 / 270, आराजी संख्या 1823 / 262, आराजी संख्या 1830 / 251, आराजी संख्या 282 बदस्तुर जमाबन्दी एवं खाता संख्या 734 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1872 / 289 रकबा 0.16 है0 बदस्तुर जमाबन्दी तथा खाता संख्या 209 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1841 / 278 रकबा 0.07 है0 भूमि दाखी पुत्री नाथु कुमावत के नाम रखते हुए रेकार्ड का [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 विरूद्ध वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के इस आशय की स्थाई नि[illegible] की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 6 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलदा[illegible]रावे, शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 19.05.2022 [illegible] से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:25 IST
Reason: SelfAttested

19.05.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा